


RBE No.83/2019



PCPO's Sl.No.106/2019

No. E/Misc/O/ECR/HJP

Dated:- 18.06.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पूमरे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
7. Sr.DPO/ पूमरे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/ विधि/ पटना।
9. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/ कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

विषय : Introduction of provision for writing of APAR of Railway employees working in PB-I, Grade Pay of Rs.1900/- Clarification regarding.


संदर्भ : Railway's Boards Lt. No. E(NG)I-2019/CR/3 Dated: 21.05.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

  
(सौरभ सावर्ण)

वकाधि/ ई.एस.एम

कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/ हाजीपुर


प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ईसीआरकेयू/ पू.म.रे./ हाजीपुर।
2. महासचिव/ एस0.सी0./ एस0.टी0./ एशोसिएशन/ पू.म.रे./ हाजीपुर।
3. वकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे./ हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ ओ.बी.सी.एशोसिएशन/ पू.म.रे./ हाजीपुर।

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय  
पूर्व-मध्य रेल, हजारीपुर

27 MAY

रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं. 06



RBE No.83/2019

No. E(NG)I-2019/CR/3

New Delhi dated 27/05/2019

ECR

The General Managers(P)  
All Zonal Railways &  
Production Units etc.,  
(As per standard list).

068691

**Sub:- Introduction of provision for writing of APAR of Railway employees working in PB-I, Grade Pay of Rs.1900/- Level-2 – clarification regarding.**

Reference is invited to Board's letter No. E(NG)I-2013/CR/1 dated 30.12.2014, issued as RBE No. 148/2014) on the subject referred to above. It has been pointed out that provision of "Reviewing Authority" in the proforma attached to the Board's letter ibid was not made.

Considering the above, the matter has been reviewed. It is advised that a new entry i.e. Reviewing Authority may be introduced at the bottom of the APAR format for GP Rs. 1900/- Level-2 after the Reporting Officer entry, in the said proforma attached with the letter ibid. issued vide Board's letter dated 30.12.2014 quoted above.

(This disposes off DLMW's letter No. 400 E/P/DMW/Confdl. dated 11.02.2019).

Please acknowledge receipt.

मनुआधि (Local)  
मुकाधि प्रशा  
मुकाधि/आईआर  
उप मुकाधि/राज  
उप मुकाधि/मा  
उप मुकाधि/आईआर  
वकाधि E&M  
सकाधि  
विधि अधिकारी

(M.K. Meena)  
Deputy Director Estt. (N)  
Railway Board

29.5.2019

31/5

Ruling

आरबीई सं. ४३ /2019

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)।-2019/सीआर/3

नई दिल्ली, दिनांक 21.05.2019

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि,  
(मानक सूची के अनुसार)


विषय:- लेवल-2, ग्रेड पे 1900/-, पीबी-। में कार्यरत रेल कर्मचारियों की वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) लिखने के लिए प्रावधान आरंभ किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

आपका ध्यान उपर्युक्त उल्लिखित विषय पर बोर्ड के दिनांक 30.12.2014 के पत्र सं. ई(एनजी)।-2013/सीआर/1 (आरबीई सं. 148/2014 के रूप में जारी) की ओर आकृष्ट किया जाता है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि बोर्ड के उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा में "समीक्षा प्राधिकारी" का प्रावधान नहीं किया गया था।

उपर्युक्त पर विचार करते हुए इस मामले की समीक्षा की गई है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 30.12.2014 के ऊपर उल्लिखित पत्र के तहत जारी उक्त पत्र के साथ संलग्न उल्लिखित प्रोफार्मा में रिपोर्टिंग अधिकारी की प्रविष्टि के पश्चात् लेवल-2, ग्रेड पे 1900/- रुपए के लिए एपीएआर फार्मेट के नीचे समीक्षा प्राधिकारी की नई प्रविष्टि शामिल की जाए।

(इससे डीएलएमडब्ल्यू के दिनांक 11.02.2019 के पत्र सं. 400 ई/पी/डीएमडब्ल्यू/कॉन्फिडे. का निपटान हो जाता है)।

कृपया पावती दें।

  
(एम. के. मीना)

उप निदेशक स्थापना (एन)  
रेलवे बोर्ड